भाग - II

विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त

अध्याय-4

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) की कार्यप्रणाली

भाग II

अध्याय 4

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) की कार्यप्रणाली

प्रस्तावना

4.1 31 मार्च 2019 को विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से संबंधित 27 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (रा.सा.क्षे.उ.) थे। 1966-67 से 2017-18 के दौरान शामिल किए गए इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में 25 सरकारी कंपनियां और दो सांविधिक निगम[1] शामिल थे। सरकारी कंपनियों में सरकारी कंपनियों के स्वामित्व वाली दो[2] सहायक कंपनियां और चार[3] निष्क्रिय कंपनियां शामिल थीं। दो[4] सरकारी कंपनियों ने 31 मार्च 2019 तक व्यावसायिक गतिविधियों की शुरुआत नहीं की थी।

राज्य सरकार समय-समय पर इक्विटी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 27 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से, राज्य सरकार ने केवल 21 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निधियों का निवेश किया। शेष छः[5] संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियों की इक्विटी में संबंधित सह-भागीदार/होल्डिंग कंपनियों द्वारा योगदान दिया गया था।

राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान

4.2 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ) में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के टर्नओवर का अनुपात राज्य अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की गतिविधियों की सीमा को दर्शाता है। मार्च 2019 को समाप्त होने वाली पांच वर्षों की अवधि के लिए नीचे दी गई तालिका में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और हरियाणा के स.रा.घ.उ. के टर्नओवर का विवरण दिया

---

1 हरियाणा राज्य भंडारण निगम और हरियाणा वित्तीय निगम।

2 हारट्रोन इंफोर्मेटिक्स लिमिटेड को हारट्रोन की सहायक कंपनी के रूप में निगमित (8 मार्च 1995) किया गया और पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड को एच.एस.आई.आई.डी.सी. की सहायक कंपनी के रूप में निगमित (27 दिसंबर 2016) किया गया।

3 हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम, हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड, हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड और हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड ने क्रमशः 2002-03, 2001-02, 1997-98 और 2002-03 से अपने परिचालनों को बंद कर दिया।

4 हरियाणा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड।

5 हारट्रोन इंफोर्मेटिक्स लिमिटेड, गुड़गांव टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड, पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड, गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड, हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड और हरियाणा स्टेट हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

गया है:

तालिका 4.1: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एवं हरियाणा स.रा.घ.उ. के टर्नओवर का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
टर्नओवर	8,891.35	4,633.78	4,100.32	4,564.52	4,536.78
हरियाणा का स.रा.घ.उ.	4,41,864.26	4,92,656.90	4,34,607.93	6,08,470.73	7,07,126.33
टर्नओवर के विरूद्ध हरियाणा का स.रा.घ.उ. का प्रतिशत	2.01	0.94	0.94	0.75	0.64

2013-14 के लिए हरियाणा की जी.एस.डी.पी.: ₹ 3,95,747.73 करोड़, 2013-14 के लिए टर्नओवर: ₹ 3,006.57 करोड़।

स्रोत: आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार संबंधित वर्षों (उन्नत अनुमान) की वर्तमान कीमतों पर वर्ष-दर-वर्ष की तुलना में कार्यरत सा.क्षे.उ. के टर्नओवर और स.रा.घ.उ. के आंकड़ों पर आधारित संकलन।

संबंधित वर्षों में उपलब्ध उनके नवीनतम लेखापरीक्षा लेखाओं के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का टर्नओवर पूर्ववर्ती वर्ष में दर्ज टर्नओवर की तुलना में 2014-15 और 2017-18 के दौरान बढ़ा। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (एच.एस.आई.आई.डी.सी.) द्वारा लेखाओं की तैयारी नकद आधार से संग्रहण आधार अपनाने के कारण वर्ष 2014-15 में उच्च टर्नओवर देखा गया। 2014-19 की अवधि के दौरान टर्नओवर में परिवर्तन दर 195.73 प्रतिशत और (-) 47.88 प्रतिशत के मध्य रही, जबकि इसी अवधि के दौरान राज्य के स.रा.घ.उ. में वृद्धि दर 11.50 प्रतिशत और 40 प्रतिशत के मध्य रही। पिछले पांच वर्षों के दौरान स.रा.घ.उ. की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर 12.31 प्रतिशत रही। मिश्रित वार्षिक वृद्धि विभिन्न समयावधि में विकास दर को मापने के लिए एक उपयोगी विधि है। स.रा.घ.उ. की 12.31 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर की तुलना में विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त के टर्नओवर में पिछले पाँच वर्षों के दौरान 8.58 प्रतिशत की वार्षिक दर से ऋणात्मक वृद्धि हुई है। स.रा.घ.उ. में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के टर्नओवर की हिस्सेदारी में कमी हुई थी, जो कि 2014-15 में 2.01 प्रतिशत एवं 2018-19 में 0.64 प्रतिशत थी।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश

4.3 सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रम हैं जो राज्य सरकार के साधन के रूप में कार्य करते हैं। वे कुछ निश्चित सेवाएं प्रदान करते हैं, जिन्हें निजी क्षेत्र विभिन्न कारणों से करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ कुछ व्यावसायिक क्षेत्रों में भी निवेश किया है जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में काम करते हैं। इसलिए इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की स्थिति को दो प्रमुख वर्गीकरणों के तहत विभाजित और विश्लेषण किया गया है अर्थात् सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले और प्रतिस्पर्धी वातावरण में काम करने वाले। इसके अतिरिक्त, इनमें से पांच[6] सार्वजनिक क्षेत्र

[6] हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड को पुलिस विभाग के भवन निर्माण और सिविल इंजीनियरिंग कार्य करने के लिए निगमित किया गया; हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को हरियाणा में मास रैपिड ट्रांसपोर्ट परियोजनाओं को लागू करने के लिए निगमित किया गया; हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड को राज्य सरकार की ओर से दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए निगमित किया गया; हरियाणा रोडवेज अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड को हरियाणा रोडवेज के लिए बस बॉडी बिल्डिंग वर्कशॉप के रूप में निगमित किया गया; हरियाणा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को राज्य सरकार की ओर से रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर की योजना और कार्यान्वयन के लिए निगमित किया गया।

उपक्रम जो राज्य सरकार की ओर से कुछ विशिष्ट गतिविधियों को करने के लिए शामिल किए गए थे, उन्हें अन्य के तहत वर्गीकृत किया गया है। 31 मार्च 2019 तक इन 27 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में इक्विटी के रूप में निवेश का विवरण और दीर्घकालिक ऋण ***परिशिष्ट-5*** में विस्तृत हैं।

4.4 31 मार्च 2019 तक इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश का क्षेत्रवार सारांश नीचे दिया गया है:

तालिका 4.2: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में सेक्टर वार निवेश

सेक्टर	सा.क्षे.उ. की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)							
		इक्विटी		दीर्घकालिक ऋण		अनुदान/सब्सिडी		योग	
		हरियाणा सरकार	अन्य	हरियाणा सरकार	अन्य	हरियाणा सरकार	अन्य	हरियाणा सरकार	अन्य
सामाजिक सेक्टर	9	107.27	31.98	8.15	173.98	2,153.24	226.22	2,751.43	6,430.45
प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में सा.क्षे.उ.	13	420.03	75.21	1.39	5,504.02				
अन्य	5	61.35	28.54	0	390.50				
कुल	**27**	**588.65**	**135.73**	**9.54**	**6,068.50**	**2,153.24**	**226.22**	**2,751.43**	**6,430.45**

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

31 मार्च 2019 तक इन 27 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में कुल निवेश (इक्विटी, दीर्घकालिक ऋण और अनुदान/सब्सिडी) ₹ 9,181.88 करोड़ था जिसमें हरियाणा सरकार द्वारा ₹ 2,751.43 करोड़ और अन्य द्वारा ₹ 6,430.45 करोड़ का निवेश शामिल है। निवेश में इक्विटी के लिए 7.89 प्रतिशत, दीर्घकालिक ऋण में 66.20 प्रतिशत और अनुदान/सब्सिडी में 25.91 प्रतिशत शामिल थे। कुल दीर्घकालिक ऋणों में से राज्य सरकार के ऋण केवल 0.16 प्रतिशत (₹ 9.54 करोड़) थे। पिछले पांच वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के अतिरिक्त के अनुदान/सब्सिडी (₹ 1,380.07 करोड़) के घटक-वार विश्लेषण से पता चला कि अनुदान/सब्सिडी का 86.52 प्रतिशत (₹ 1,194.07 करोड़) परिचालन और प्रशासनिक व्यय और शेष 13.48 प्रतिशत परियोजना निधियों के लिए था।

कुल निवेश 2014-15 में ₹ 4,460.28 करोड़ से 105.86 प्रतिशत तक बढ़कर 2018-19 में ₹ 9,181.88 करोड़ हो गया। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान मुख्य रूप से बकाया दीर्घकालिक ऋणों में ₹ 2,711.43 करोड़ से ₹ 6,078.04 करोड़ की वृद्धि के कारण निवेश में वृद्धि हुई। बकाया ऋणों में हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड का हिस्सा ₹ 5,501.72 करोड़ था।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण

4.5 वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में कोई विनिवेश, पुनर्गठन या निजीकरण नहीं किया गया था।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को बजटीय सहायता

4.6 हरियाणा सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में इक्विटी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, बट्टे खाते ऋण, और वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तित किए गए ऋण बजटीय विवरणों का सारांश विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 4.3: वर्षों के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को बजटीय सहायता के बारे में विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण[7]	2016-17		2017-18		2018-19	
	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि
इक्विटी कैपिटल निर्गम (i)	2	3.10	4	7.71	5	25.44
दिए गए ऋण (ii)	-	-	-	-	1	8.15
प्रदान की गई अनुदान/सब्सिडी (iii)	8	445.08	9	188.60	8	358.36
कुल निर्गम (i+ii+iii)		**448.18**		**196.31**		**391.95**
ऋण चुकौती/बट्टे खाते[8]	1	81.24	-	-	1	215.15
इक्विटी में परिवर्तित ऋण	-	-	-	-	-	-
जारी की गई गारंटियाँ	3	677.62	3	2,030.52	4	1,071.81
गारंटी प्रतिबद्धता	5	1,084.36	5	3,351.48	5	4,359.35

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

मार्च 2019 को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों के लिए इक्विटी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के लिए बजटीय विवरण नीचे ग्राफ़ में दिए गए हैं:

चार्ट 4.1: इक्विटी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के लिए बजटीय निर्गम

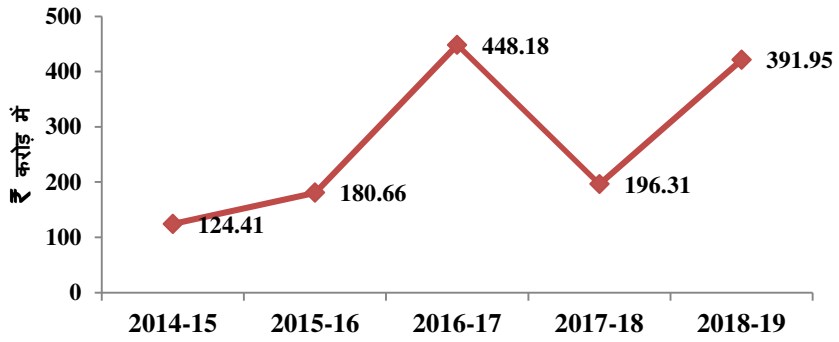

वर्ष 2018-19 के दौरान अनुदान/सब्सिडी के रूप में दी गई ₹ 358.36 करोड़ की बजटीय सहायता मुख्य रूप से ऋण के पुनर्भुगतान, योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रशासनिक व्ययों के लिए थी।

हरियाणा सरकार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए गारंटी प्रदान करती है और बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सार्वजनिक

---

7 राशि केवल राज्य के बजट से व्यय का प्रतिनिधित्व करती है।

8 यह हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड के संबंध में बट्टे खाते डाले गए ऋणों का प्रतिनिधित्व करता है और ऋण चुकौती शून्य है।

क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लिए गए ऋण पर 0.125 प्रतिशत से दो प्रतिशत की दर से गारंटी फीस प्रभारित करती है। वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 45.41 करोड़ के गारंटी कमीशन का भुगतान तीन[9] सा.क्षे.उ. द्वारा किया गया था।

हरियाणा सरकार के वित्त लेखाओं के साथ मिलान

4.7 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अभिलेख के अनुसार इक्विटी, ऋण और बकाया गारंटी के आंकड़े हरियाणा सरकार के वित्त लेखाओं में प्रदर्शित होने वाले आंकड़ों से मेल होने चाहिए। यदि आंकड़े मेल नहीं खाते हैं, तो संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और वित्त विभाग को इस अंतर को दूर करना चाहिए। इस संबंध में 31 मार्च 2019 को इसकी स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 4.4: हरियाणा सरकार के वित्त लेखाओं एवं राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अभिलेख के अनुसार इक्विटी, ऋण, बकाया गारंटी की स्थिति

(₹ करोड़ में)

बकाया	वित्त लेखाओं के अनुसार राशि	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अभिलेख के अनुसार राशि	अंतर
इक्विटी	553.45	588.65	35.20
ऋण	204.08	9.54	194.54
गारंटी	3,903.52	4,359.35	455.83

स्रोत: सा.क्षे.उ. और राज्य वित्त लेखाओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 27 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से 18 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में इस तरह के अंतर पाए गए हैं जैसा कि ***परिशिष्ट-6*** में दर्शाया गया है। आंकड़ों के मध्य़ ये अंतर पिछले कई वर्षों से जारी हैं। अंतर दूर करने का मुद्दा महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा द्वारा संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और उनके प्रशासनिक विभागों के साथ समय-समय पर उठाया गया है। हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड, हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम तथा हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड (निष्क्रिय कंपनी) के बकायों में बड़ा अंतर देखा गया है।

यह सिफारिश की जाती है कि राज्य सरकार और संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को समयबद्ध ढंग से लेखाओं में अंतर को दूर करना चाहिए।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतिकरण

4.8 31 मार्च 2019 तक इन 27 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से 23 कार्यरत (21 कंपनियां और दो सांविधिक निगम) हैं और चार निष्क्रिय हैं। उनके लेखाओं की तैयारी में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा निर्धारित समय-सीमा की स्थिति नीचे दी गई है:

कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखाओं की तैयारी में समयबद्धता

4.8.1 वर्ष 2018-19 के लिए 30 सितंबर 2019 तक सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। तथापि, वर्ष 2018-19 के लिए 21 कार्यरत कंपनियों में से केवल चार कंपनियों ने 30 सितंबर 2019 तक भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के समक्ष लेखापरीक्षा के लिए अपने खाते प्रस्तुत किए।

[9] हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड तथा हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक राज्य के दो सांविधिक निगमों[10] के एकमात्र लेखापरीक्षक नहीं हैं। वर्ष 2018-19 के लिए 30 सितंबर 2019 तक दोनों सांविधिक निगमों के लेखे प्रतीक्षित थे।

30 सितंबर 2019 तक कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बकाया लेखाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 4.5: कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत करने से संबंधित स्थिति

क्र.सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.	सा.क्षे.उ. की संख्या	20	19	21	23	23
2.	वर्तमान वर्ष के दौरान जमा किए गए लेखाओं की संख्या	17	19	14	27	26
3.	वर्तमान वर्ष के लिए लेखाओं को अंतिम रूप देने वाले कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	1	1	1	3	4
4.	वर्तमान वर्ष के दौरान पिछले वर्ष के लेखाओं की संख्या जिनको अंतिम रूप दिया गया	16	18	13	24	22
5.	लेखाओं में बकाया राशि के साथ कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	19	18	20	20	19
6.	बकाया में लेखाओं की संख्या	34	35	43	38	35
7.	बकाया राशि (वर्षों की संख्या)	1-5	1-5	1-5	1-4	1-5

स्रोत: अक्तूबर 2018 से सितंबर 2019 की अवधि के दौरान प्राप्त सा.क्षे.उ. के लेखाओं के आधार पर संकलित।

लेखाओं को अंतिम रूप देने में बकाया के बारे में महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा द्वारा संबंधित विभागों को तिमाही सूचना दी गई थी।

हरियाणा सरकार ने 23 कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से नौ को ₹ 751.25 करोड़ (इक्विटी: ₹ 39.48 करोड़, ऋण: ₹ 8.15 करोड़, अनुदान/सब्सिडी: ₹ 703.62 करोड़) प्रदान किए थे, जिनके वर्ष 2018-19 के लेखाओं को 30 सितंबर 2019 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था। वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा सा.क्षे.उ. वार निवेश का ब्योरा, जिसके लेखे बकाया में हैं ***परिशिष्ट-7*** में दर्शाया गया है। सा.क्षे.उ. को उनके प्रशासनिक व्ययों को वहन करने के लिए अनुदान/सब्सिडी प्रदान की गई थी जबकि एच.एस.आई.आई.डी.सी. को परियोजनाओं के लिए अनुदान प्रदान किया गया था।

निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखाओं की तैयारी में समयबद्धता

4.8.2 चार निष्क्रिय सा.क्षे.उ. में से, दो सा.क्षे.उ. अर्थात् हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड और हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड परिसमापन के अधीन थे। शेष दो निष्क्रिय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखाओं को अंतिम रूप दिया जाना बकाया था, जिनका

[10] हरियाणा वित्तीय निगम और हरियाणा राज्य भंडारण निगम।

विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 4.6: 30 सितंबर 2019 को निष्क्रिय सा.क्षे.उ. से संबंधित लेखाओं के बकाया की स्थिति

क्र.सं.	निष्क्रिय कंपनियों का नाम	अवधि जिसके लिए लेखाओं में बकाया था
1.	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड	2018-19
2.	हरियाणा खनिज लिमिटेड	2018-19

स्रोत: अक्तूबर 2018 से सितंबर 2019 की अवधि के दौरान प्राप्त सा.क्षे.उ. के लेखाओं के आधार पर संकलित।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के खातों को अंतिम रूप न देने का प्रभाव

4.9 लेखाओं को अंतिम रूप देने में देरी करना संबंधित क़ानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन है, और इसके कई परिणाम हैं जैसे (i) वर्ष 2018-19 के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक उपक्रमों का वास्तविक योगदान पता नहीं लगाया जा सका है और राज्य में उनके योगदान राज्य विधानमंडल को भी सूचना नहीं दी गई थी, (ii) इसके परिणामस्वरूप प्रासंगिक क़ानूनों के प्रावधानों के उल्लंघन के अलावा सार्वजनिक धन की धोखाधड़ी और रिसाव हो सकता है, (iii) लेखाओं को अंतिम रूप देने और उनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षाओं के अभाव में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों की निगरानी और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा का उपयोग नहीं किया जा सका, (iv) यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या किए गए निवेश और व्यय का सही हिसाब लगाया गया था और जिस उद्देश्य के लिए राशि का निवेश किया गया था, वह प्राप्त किया गया था, संबंधित विधियों के प्रावधानों का उल्लंघन होने के अलावा, वर्ष 2018-19 के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक उपक्रमों के वास्तविक योगदान का पता नहीं लगाया जा सका। राजकोष में उनके योगदान की सूचना भी राज्य विधानसभा को नहीं दी जा सकी। अपने खातों को अंतिम रूप देने में बकाया वाले 19 कार्यरत सा.क्षे.उ. में से छः कार्यरत सा.क्षे.उ. के पास अपने खातों को अंतिम रूप देने में एक वर्ष से अधिक का बकाया था।

इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि लेखाओं में बकाया को कम करने के लिए प्रशासनिक विभाग को निगरानी करनी चाहिए और दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं को तैयार करने में आने वाली बाधाओं पर भी गौर करे और आवश्यक कदम उठाए।

राज्य विधानमंडल में सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना

4.10 पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सांविधिक निगमों के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन है। ये प्रतिवेदन संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार विधानमंडल के समक्ष रखी जानी है। 2018-19 के लिए 30 सितंबर 2019 तक दोनों सांविधिक निगमों के लेखाओं को लेखापरीक्षा के लिए प्राप्त नहीं किया गया था।

सांविधिक निगमों के वार्षिक लेखाओं और विधानमंडल में उनके पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

को प्रस्तुत करने की स्थिति निम्न तालिका में दी गई है:

तालिका 4.7: सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की स्थिति

निगम का नाम	लेखा वर्ष	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का माह
हरियाणा वित्तीय निगम	2016-17	फरवरी 2019
	2017-18	प्रस्तुत करने के लिए 11 फरवरी 2020 को सरकार के पास भेजा गया
हरियाणा राज्य भंडारण निगम	2015-16	21 फरवरी 2019
	2016-17	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं
	2017-18	अभी प्रस्तुत किए जाने हैं

स्रोत: सा.क्षे.उ. द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर संकलित।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का निष्पादन

4.11 30 सितंबर 2019 तक नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार 27 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की वित्तीय स्थिति और कार्य परिणाम ***परिशिष्ट-8*** में विस्तृत है।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से अपेक्षा की जाती है कि वे सरकार द्वारा किए गए निवेश पर उचित लाभ देंगे। 31 मार्च 2019 तक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश की राशि ₹ 9,181.88 करोड़ थी, जिसमें इक्विटी के रूप में ₹ 724.38 करोड़, दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 6,078.04 करोड़ और अनुदान एवं सब्सिडी के रूप में ₹ 2,379.46 करोड़ शामिल थे। इसमें से, राज्य सरकार ने ₹ 2,751.43 करोड़ (इक्विटी: ₹ 588.65 करोड़, दीर्घावधि ऋण: ₹ 9.54 करोड़ और अनुदान एवं सब्सिडी: ₹ 2,153.24 करोड़) का निवेश किया था।

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में हरियाणा सरकार के निवेश का वर्षवार ग्राफ इस प्रकार है:

चार्ट 4.2: सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में हरियाणा सरकार का कुल निवेश

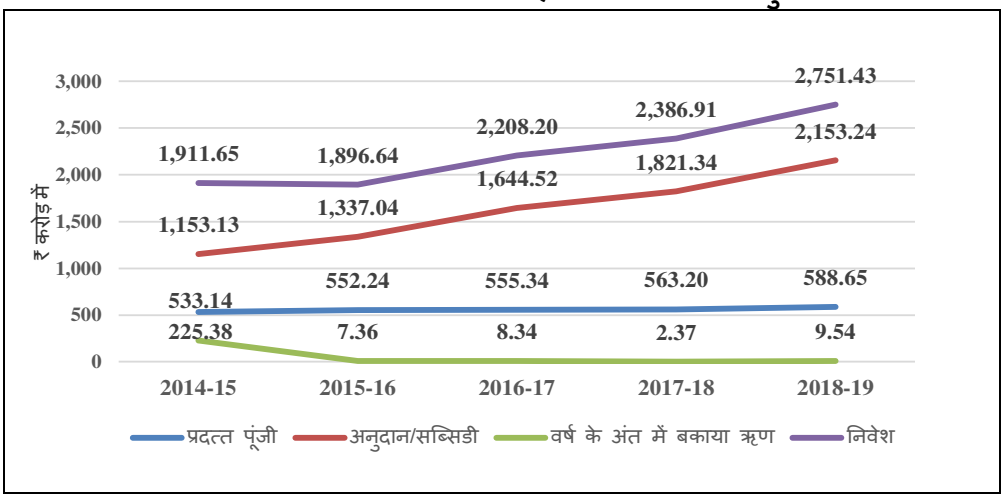

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अलावा अन्य में हरियाणा सरकार का कुल निवेश 1.44 गुना बढ़ा, जैसा कि चार्ट 4.2 में दिखाया गया है।

4.12 किसी कंपनी के वित्तीय निष्पादन और लाभप्रदता का पारंपरिक रूप से निवेश पर रिटर्न (आर.ओ.आई.), इक्विटी पर रिटर्न (आर.ओ.ई.) और नियोजित पूँजी पर रिटर्न

(आर.ओ.सी.ई.) के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

निवेश पर रिटर्न (आर.ओ.आई.)

4.13 निवेश पर रिटर्न कुल निवेश पर लाभ या हानि का प्रतिशत है। 2014-15 से 2018-19 के दौरान कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ/हानि[11] की समग्र स्थिति को नीचे दर्शाया गया है:

चार्ट 4.3: वर्षों के दौरान कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ/उठाई गई हानि

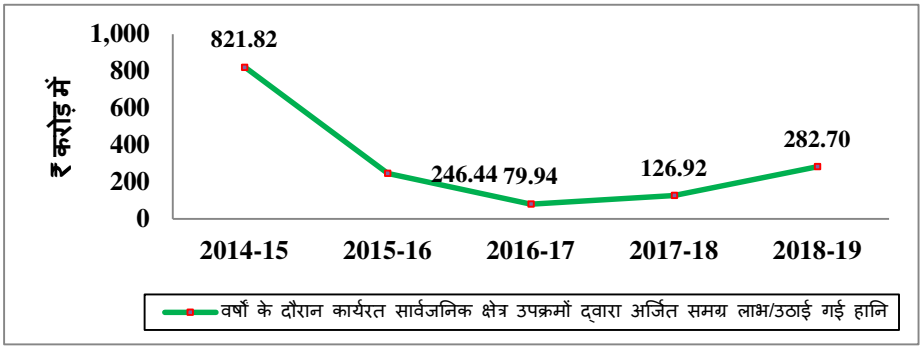

नवीनतम वर्ष के लिए विद्युत क्षेत्र के सा.क्षे.उ. से अन्य के वित्तीय परिणाम, जिनके लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया था, को ***परिशिष्ट-8*** में संक्षेपित किया गया है।

2014-15 से 2018-19 के दौरान 31 मार्च 2019 को 23 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से लाभ/हानि अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 4.8: कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का विवरण जिन्होंने लाभ/हानि अर्जित किया

वित्तीय वर्ष	सार्वजनिक उपक्रमों की कुल संख्या[12]	सा.क्षे.उ. की संख्या जिन्होंने लाभ अर्जित किया	सा.क्षे.उ. की संख्या जिन्होंने हानि उठाई	सा.क्षे.उ. की संख्या जिन्होंने मार्जिनल लाभ/हानि उठाई
2014-15	18	14	4	-
2015-16	18	12	6	-
2016-17	18	11	7	-
2017-18	21	14	7	-
2018-19	23	16	5	2[13]

(क) ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश पर आय

4.14 राज्य सरकार ने राज्य के 27 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से केवल 21 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में इक्विटी, दीर्घावधि ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में निधियों का उपयोग किया था। सरकार ने इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में ₹ 598.19 करोड़ का निवेश किया है, जिसमें ₹ 588.65 करोड़ की इक्विटी और ₹ 9.54 करोड़ के दीर्घावधि ऋण शामिल हैं।

11 आंकड़े संबंधित वर्षों के नवीनतम अंतिम लेखाओं के अनुसार हैं।

12 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या जिन्होंने लेखाओं को अंतिम रूप दिया।

13 पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड तथा हरियाणा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

निवेश पर आय की गणना[14] हरियाणा सरकार द्वारा इक्विटी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में किए गए निवेश पर की गई है। ऋणों के मामले में, केवल ब्याज मुक्त ऋणों को ही निवेश माना जाता है क्योंकि सरकार को ऐसे ऋणों पर कोई ब्याज नहीं मिलता है और इसलिए सरकार द्वारा प्रदान किए ऋण की प्रवृति इक्विटी निवेश की है, सिवाय उन ऋण अदायगी के जिन्हें नियमों और शर्तों के अनुसार चुकाया जाना है। तथापि, ₹ 9.54 करोड़ के सभी दीर्घावधि ऋण ब्याज वाले ऋण हैं और कोई ब्याज मुक्त ऋण नहीं हैं। इस प्रकार, ऐतिहासिक लागत के आधार पर इन 21 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में राज्य सरकार का कुल निवेश ₹ 2,741.89 करोड़[15] (₹ 588.65 करोड़ की इक्विटी और ₹ 2,153.24 करोड़ के अनुदान/सब्सिडी) था और अन्य का निवेश ₹ 110.39 करोड़ था, जो तालिका 4.9 में विस्तृत रूप से दिया गया है।

2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश का क्षेत्रवार विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 4.9: ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकार के निवेश पर आय

वर्ष वार	क्षेत्रवार ब्रेक-अप	कुल कमाई (₹ करोड़ में)	ऐतिहासिक लागत पर इक्विटी, ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में हरियाणा सरकार द्वारा निवेश की गई निधियां (₹ करोड़ में)	राज्य सरकार के निवेश पर आय (प्रतिशत)
i	ii	iii	iv	v =iii/iv *100
2014-15	सामाजिक क्षेत्र	-12.51	272.29	-4.59
	प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र	804.52	1,296.60	62.05
	अन्य	13.81	117.38	11.77
	कुल	**805.82**	**1,686.27**	**47.79**
2015-16	सामाजिक क्षेत्र	-21.95	345.66	-6.35
	प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र	256.98	1,353.73	18.98
	अन्य	2.58	189.89	1.36
	कुल	**237.61**	**1,889.28**	**12.58**
2016-17	सामाजिक क्षेत्र	-65.19	398.55	-16.36
	प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र	136.25	1,534.38	8.88
	अन्य	0.53	266.92	0.20
	कुल	**71.59**	**2,199.85**	**3.25**
2017-18	सामाजिक क्षेत्र	22.01	466.29	4.72
	प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र	92.52	1,557.07	5.94
	अन्य	1.76	361.19	0.49
	कुल	**116.29**	**2,384.55**	**4.88**
2018-19	सामाजिक क्षेत्र	51.43	554.15	9.28
	प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र	216.34	1,643.70	13.16
	अन्य	4.69	544.04	0.86
	कुल	**272.46**	**2,741.89**	**9.94**

2017-18 की अवधि की तुलना में 2018-19 के दौरान राज्य सरकार के निवेश पर रिटर्न में मुख्य रूप से वर्ष 2018-19 के दौरान हरियाणा राज्य औद्योगिक और मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (एच.एस.आई.आई.डी.सी.) (प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में) और हरियाणा राज्य भंडारण निगम (एच.एस.डब्ल्यू.सी.) (सामाजिक क्षेत्र में) के लाभ में वृद्धि के कारण सुधार

[14] हालांकि एच.एफ.सी. एक सूचीबद्ध निगम है, निगम ने मई 2010 से नए ऋण को मंजूरी नहीं दी है और निगम के शेयरों का अंतिम कारोबार 13 जुलाई 2011 को ₹ 24.65 के मूल्य पर हुआ। तब से शेयर का मूल्य स्थिर बना हुआ है और वही वर्तमान शेयर का मूल्य अर्थात् ₹ 24.65 है। इसलिए, ब्याज दर की गणना अलग से नहीं की गई है।

[15] ₹ 9.54 करोड़ के दीर्घावधि ऋणों को ब्याज वाले ऋण होने के कारण लेखे में नहीं लिया गया है और ब्याज मुक्त ऋण नहीं हैं।

हुआ। आगे के विश्लेषण से पता चलता है कि प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में राज्य सरकार के निवेश पर रिटर्न में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति 2014-15 में 62.05 प्रतिशत थी और 2015-16 में घटकर 18.98 प्रतिशत रह गई, जिसका मुख्य कारण हरियाणा राज्य औद्योगिक और मूलभूत संरचना विकास निगम के लाभ में कमी थी। 2017-18 में इस क्षेत्र का निवेश रिटर्न 5.94 प्रतिशत और 2018-19 में 13.16 प्रतिशत था। 2018-19 के दौरान, निवेश पर प्रतिस्पर्धी क्षेत्र रिटर्न तीनों क्षेत्रों में सबसे अधिक था। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान रिटर्न 3.25 प्रतिशत और 47.79 प्रतिशत के बीच रही।

(ख) निवेश का वर्तमान मूल्य

4.15 21 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में, जहां राज्य सरकार द्वारा निधियाँ लगाई गई थी, उन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की लाभप्रदता का आकलन करने के लिए उनकी आय एवं निवेश का विश्लेषण किया गया। आर.ओ.आई. की पारंपरिक गणना आय की पर्याप्तता का सही संकेतक नहीं हो सकती है, क्योंकि ऐसी गणना धन के वर्तमान मूल्य की अनदेखी करती है। इसलिए, इसके अतिरिक्त, आर.ओ.आर.आर. की गणना निवेश की ऐतिहासिक लागत के वर्तमान मूल्य को देखते हुए की जाती है।

विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के अतिरिक्त में राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई थी:

- जहां सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को दिए गए ब्याज मुक्त ऋण को बाद में इक्विटी में बदल दिया गया था, इक्विटी में परिवर्तित ऋण की राशि को ब्याज मुक्त ऋण की राशि से काट लिया गया है और उस वर्ष की इक्विटी में जोड़ा गया है।
- संबंधित वित्तीय वर्ष[16] के लिए सरकारी ऋण पर ब्याज की औसत दर को वर्तमान मूल्य पर पहुंचने के लिए संयोजित दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वे वर्ष के लिए धन के निवेश की दिशा में सरकार द्वारा किए गए खर्च का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर आय की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में माना जाता है।
- राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों और परिदानों को विनिवेश से कम करने के माध्यम से पारंपरिक रूप से वास्तविक रिटर्न की दर पर पहुंचने के लिए माना जाता था।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में हरियाणा सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की तुलना में निवेश की ऐतिहासिक लागत पर आय की दर का आकलन करने के लिए सरकारी निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना की गई है। प्रत्येक वर्ष के अंत में 31 मार्च 2019 तक निवेश की ऐतिहासिक लागत को उसके वर्तमान मूल्य पर लाने के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में हरियाणा सरकार के सरकारी निवेशों में पिछले निवेश/वर्ष-वार धनराशि को सरकारी ऋण पर ब्याज की वार्षिक औसत दर पर संयोजित किया गया है, जिसे संबंधित वर्ष के लिए सरकार के लिए धन की न्यूनतम लागत माना जाता है। इसलिए, इन कंपनियों की स्थापना के बाद से 31 मार्च 2019 तक उन 21 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संबंध जहां इक्विटी, ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान/परिदानों के रूप में राज्य सरकार द्वारा धन लगाया गया था, राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना की गई। 2014-15 से

---

[16] सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर को संबंधित वर्ष के लिए राज्य के वित्त (हरियाणा सरकार) पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन से अपनाया गया था, जिसमें प्रदत्त ब्याज के लिए औसत दर = ब्याज भुगतान/[(गत वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि + चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2]*100

2018-19 की अवधि के दौरान, इन 21 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश पर सकारात्मक लाभ हुआ। इसलिए इन पांच वर्षों के लिए निवेश पर आय की गणना की गई है और वर्तमान मूल्य के आधार पर दर्शाया गया है।

वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि हेतु जब इन 21 कंपनियों में से कुछ घाटे में रही, तो घाटे के कारण निवल मूल्य का क्षरण निष्पादन का अधिक उपयुक्त उपाय है। पैरा 4.18 में सा.क्षे.उ. के निवल के क्षरण पर टिप्पणी की गई है।

निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर वास्तविक रिटर्न की दर (आर.ओ.आर.आर.)

4.16 1999-2000 से 2018-19 की अवधि के लिए ऐतिहासिक लागत के आधार पर इक्विटी के रूप में इन 21 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में राज्य सरकार के निवेश की सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम वार स्थिति ***परिशिष्ट-9*** में दर्शाई गई है। आगे, इसी अवधि के लिए इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित राज्य सरकार के निवेश के निवल वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की समेकित स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 4.10: 1999-2000 से 2018-19 तक राज्य सरकार के निवेश पर वर्तमान मूल्य (वास्तविक रिटर्न)

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा लगाई गई इक्विटी	प्रचालन और प्रशासनिक व्यय के लिए सरकार द्वारा दिए गए अनुदान/ सब्सिडी	वर्ष के दौरान कुल निवेश	सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए धन की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित आय	वर्ष[17] के लिए कुल अर्जन
i	ii	iii	iv	v=iii+iv	vi	vii=ii+v	viii={vii∗ (i+vi)/100}	ix={vii∗vi)/ 100}	x
1999-2000 तक		164.22	49.95	214.17	12.05	214.17	239.98	25.81	8.96
2000-01	239.98	45.48	73.50	118.98	11.4	358.96	399.88	40.92	-0.22
2001-02	399.88	21.04	98.18	119.22	10.5	519.10	573.60	54.51	7.83
2002-03	573.60	28.04	66.87	94.91	10.74	668.52	740.31	71.80	10.22
2003-04	740.31	11.51	16.19	27.70	10.2	768.01	846.35	78.34	-2.92
2004-05	846.35	2.48	22.04	24.52	8.49	870.87	944.81	73.94	2.84
2005-06	944.81	57.78	31.59	89.37	8.95	1,034.18	1,126.74	92.56	49.76
2006-07	1,126.74	12.16	25.90	38.06	9.2	1,164.80	1,271.96	107.16	-25.97
2007-08	1,271.96	72.07	83.03	155.10	7.43	1,427.05	1,533.08	106.03	-81.43
2008-09	1,533.08	95.92	67.39	163.31	7.82	1,696.39	1,829.05	132.66	176.34
2009-10	1,829.05	4.98	41.96	46.94	9.29	1,875.99	2,050.27	174.28	54.25
2010-11	2,050.27	6.41	98.80	105.21	9.22	2,155.48	2,354.22	198.74	138.45
2011-12	2,354.22	21.28	167.40	188.68	9.73	2,542.90	2,790.32	247.42	98.15
2012-13	2,790.32	-21.98	61.71	39.73	9.86	2,830.05	3,109.09	279.04	123.25
2013-14	3,109.09	2.93	94.88	97.81	9.83	3,206.90	3,522.14	315.24	-93.65
2014-15	3,522.14	8.82	153.74	162.56	9.33	3,684.70	4,028.49	343.78	805.82
2015-16	4,028.49	19.1	183.91	203.01	8.64	4,231.50	4,597.10	365.60	237.61
2016-17	4,597.10	3.10	307.48	310.58	8	4,907.68	5,300.29	392.61	71.59
2017-18	5,300.29	7.87	176.82	184.69	8.1	5,484.98	5,929.26	444.28	116.29
2018-19	5,929.26	25.44	331.90	357.34	8.81	6,286.60	6,840.45	553.85	272.46
कुल		**588.65**	**2,153.24**	**2,741.89**					

टिप्पणी: वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए ब्याज मुक्त ऋण शून्य थे।

[17] वर्ष के लिए कुल कमाई उन 21 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित निवल आय (लाभ/हानि) का योग दर्शाती है, जहां राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया था। यदि किसी वर्ष के दौरान किसी सा.क्षे.उ. के वार्षिक लेखे लंबित थे, तो संबंधित सा.क्षे.उ. के नवीनतम लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार वर्ष के लिए निवल आय (लाभ/हानि) ली गई है।

2000-01 से 2018-19 के दौरान, वर्ष के लिए कुल आमदनी 1999-2000 से 2007-08, 2009-10 से 2013-14 और 2015-16 से 2018-19 में इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निधियों की लागत वसूलने के लिए न्यूनतम अपेक्षित आय़ से नीचे रही क्योंकि इस अवधि के दौरान तीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को काफी घाटा हुआ। इसके अतिरिक्त, 1999-2018 की अवधि के दौरान चार अन्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ को इन चार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा किए गए नुकसान से समायोजित किया गया, जिसके कारण इन सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से कुल आय न्यूनतम अपेक्षित आय से नीचे रही।

वर्तमान मूल्य पर रिटर्न

4.17 वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान, सरकार के पास सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में किए गए निवेश पर सकारात्मक आय थी, ऐतिहासिक लागत और वर्तमान वर्षों में राज्य सरकार की निधियों पर आय की क्षेत्रवार तुलना नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका 4.11: राज्य सरकार की निधि पर आय

(₹ करोड़ में)

वर्षवार	क्षेत्रवार ब्रेकअप	कुल आय	ऐतिहासिक लागत पर		वर्तमान मूल्य (पी.वी.) पर	
			हरियाणा सरकार द्वारा इक्विटी और ब्याज मुक्त ऋण, अनुदान/सब्सिडी के रूप में निवेश की गई निधियां	निवेश पर रिटर्न (प्रतिशत)	वर्ष के अंत में हरियाणा सरकार का निवेश	वास्तविक रिटर्न की दर (प्रतिशत)
1	2	3	4	5=3/4*100	6	7=3/6*100
2014-15	सामाजिक क्षेत्र	-12.51	272.29	-4.59	712.61	-1.76
	प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र	804.52	1,296.6	62.05	2,967.10	27.11
	अन्य	13.81	117.38	11.77	348.78	3.96
	कुल	**805.82**	**1,686.27**	**47.79**	**4,028.49**	**20.00**
2015-16	सामाजिक क्षेत्र	-21.95	345.66	-6.35	838.51	-2.62
	प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र	256.98	1,353.73	18.98	3,308.41	7.77
	अन्य	2.58	189.89	1.36	450.18	0.57
	कुल	**237.61**	**1,889.28**	**12.58**	**4,597.10**	**5.17**
2016-17	सामाजिक क्षेत्र	-65.19	398.55	-16.36	962.71	-6.77
	प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र	136.25	1,534.38	8.88	3,768.19	3.62
	अन्य	0.53	266.92	0.20	569.39	0.09
	कुल	**71.59**	**2,199.85**	**3.25**	**5,300.29**	**1.35**
2017-18	सामाजिक क्षेत्र	22.01	466.29	4.72	1113.92	1.98
	प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र	92.52	1,557.07	5.94	4,097.93	2.26
	अन्य	1.76	361.19	0.49	717.41	0.25
	कुल	**116.29**	**2,384.55**	**4.88**	**5,929.26**	**1.96**
2018-19	सामाजिक क्षेत्र	51.43	554.15	9.28	1,307.64	3.93
	प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र	216.34	1,643.7	13.16	4,553.22	4.75
	अन्य	4.69	544.04	0.86	979.59	0.48
	कुल	**272.46**	**2,741.89**	**9.94**	**6,840.45**	**3.98**

वर्तमान मूल्य पर आधारित रिटर्न ऐतिहासिक लागत के आधार पर आधारित रिटर्न से कम था जैसा कि ऊपर तालिका में दर्शाया गया है।

निवल मूल्य का क्षरण

4.18 निवल मूल्य का अर्थ भुगतान की गई पूंजी, मुक्त संचय और अधिशेष के कुल योग

से संचित घाटा और स्थगित राजस्व व्यय की कुल राशि कम करने के बाद बची शेष राशि से है। वास्तव में, यह इस बात का माप है कि संस्था में मालिकों के लिए उनकी पूंजी का क्या मूल्य है। एक नकारात्मक निवल मूल्य इंगित करता है कि मालिकों द्वारा किए गए सकल निवेश को संचित घाटे और स्थगित राजस्व व्यय द्वारा निरस्त कर दिया गया है। इन 27 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के पूंजी निवेश और लाभ उनके नवीनतम अंतिम लेखाओं के अनुसार (30 सितंबर 2019 को) क्रमश: ₹ 7,911.61 करोड़ और ₹ 1,150.34 करोड़ थे, जिसके परिणामस्वरूप निवल मूल्य ₹ 1,917.65 करोड़ था। इनका विवरण ***परिशिष्ट-8*** में दिया गया है।

निम्न तालिका 21 कंपनियों की कुल प्रदत्त पूंजी, कुल संचित लाभ/हानि और कुल निवल मूल्य को इंगित करती है, जहां राज्य सरकार ने प्रत्यक्ष निवेश किया है:

तालिका 4.12: 2014-15 से 2018-19 के दौरान 21 सा.क्षे.उ. का निवल मूल्य[18]

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अंत में संचित लाभ (+)/हानि (-)	स्थगित राजस्व व्यय	मुक्त संचय	निवल मूल्य
1	2	3	4	5	6 (2+3-4+5)
2014-15	558.66	709.98	2.85	85.00	1,350.79
2015-16	572.37	830.59	1.06	95.78	1,497.68
2016-17	572.37	770.50	1.06	90.89	1,432.70
2017-18	579.77	923.21	1.01	102.88	1,604.85
2018-19	598.79	1,133.91	0.93	100.30	1,832.07

2014-15 के दौरान 21 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से, 15 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों[19] ने सकारात्मक निवल मूल्य दिखाया जबकि तीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों[20] का निवल मूल्य नकारात्मक था। 2015-19 के दौरान 16-18 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने सकारात्मक निवल मूल्य दिखाया जबकि तीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का निवल मूल्य नकारात्मक था। 2014-15 से 2018-19 के दौरान नौ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का निवल मूल्य घट गया जबकि इसी अवधि के दौरान 11 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में वृद्धि हुई और एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के संबंध में यह समान रहा।

लाभांश भुगतान

4.19 राज्य सरकार ने दिशा-निर्देश तैयार किए थे (अक्तूबर 2003) जिनके अंतर्गत लाभ अर्जित करने वाले सभी सा.क्षे.उ. को राज्य सरकार द्वारा योगदान दी गई प्रदत्त शेयर पूंजी पर चार प्रतिशत की न्यूनतम दर का भुगतान करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, लाभांश को निदेशक मंडल की सिफारिशों के आधार पर वार्षिक आम बैठक (ए.जी.एम.) में घोषित

---

18 संबंधित वर्ष में नवीनतम अंतिम लेखाओं के आंकड़ों के आधार पर परिकलित।

19 हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड, हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा राज्य औद्योगिक और मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड, हरियाणा राज्य सड़क और पुल विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड, हरियाणा रोडवेज अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड, हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा राज्य भंडारण निगम, हरियाणा वित्तीय निगम, हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

20 हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड, हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड और हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड।

किया जाना चाहिए।

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान 21 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (दो निष्क्रिय सा.क्षे.उ. को मिलाकर) से संबंधित लाभांश भुगतान, जहां हरियाणा सरकार द्वारा इक्विटी में निवेश किया गया था, नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 4.13: 2014-15 से 2018-19 के दौरान 21 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का लाभांश भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जहां हरियाणा सरकार द्वारा इक्विटी में निवेश किया गया है		सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जिन्होंने नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार लाभ अर्जित किया		सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा घोषित/प्रदत्त लाभांश		लाभांश भुगतान अनुपात (प्रतिशत)
	सा.क्षे.उ. की संख्या	हरियाणा सरकार द्वारा इक्विटी में निवेश	सा.क्षे.उ. की संख्या	हरियाणा सरकार द्वारा इक्विटी में निवेश	सा.क्षे.उ. की संख्या	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा घोषित/प्रदत्त लाभांश	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5*100
2014-15	19	533.14	12	393.46	3	6.25	1.59
2015-16	19	552.24	10	475.18	3	5.64	1.19
2016-17	20	555.33	10	498.85	4	6.85	1.37
2017-18	21	563.20	11	301.13	1	5.00	1.66
2018-19	21	588.65	14#	292.22	1	2.15	0.74

14 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से तीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के खाते अक्तूबर 2018 से पहले प्राप्त हुए थे। इसके अतिरिक्त, एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड) ने वर्ष 2015-16 से 2017-18 के लिए तीन खाते प्रस्तुत किए, लेकिन केवल 2015-16 में लाभ अर्जित किया। सार्वजनिक क्षेत्र के कुल 12 उपक्रमों ने लाभ अर्जित किया जिन्होंने अक्तूबर 2018 से सितंबर 2019 के दौरान अपने खाते में प्रस्तुत किए ***(परिशिष्ट 8)***।

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान, लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या 10 से 14 के मध्य रही। इसी अवधि के दौरान, तथापि जिन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने लाभांश घोषित/प्रदत्त किया उनकी संख्या एक से चार के मध्य थी। 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान केवल एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम[21] ने लाभांश घोषित किया।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार निदेशक मंडल में अपने नामितों के माध्यम से मामले को उठा सकती है।

इक्विटी पर आय

4.20 इक्विटी पर आय वित्तीय निष्पादन का एक उपाय है जो यह आकलन करता है कि प्रबंधन, लाभ कमाने के लिए कंपनी की परिसंपत्तियों का कितना प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहा है और इसकी गणना शेयरधारकों की निधि द्वारा निवल आय (अर्थात् करों के बाद निवल लाभ) को विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया जाता है और किसी भी कंपनी के लिए इसकी गणना की जा सकती है यदि निवल आय और शेयरधारकों की निधि दोनों सकारात्मक हैं।

[21] हरियाणा राज्य भंडारण निगम।

किसी कंपनी के निवल मूल्य या शेयरधारकों की निधि की गणना प्रदत्त पूंजी और संचित हानियों के निवल मुक्त आरक्षित और स्थगित राजस्व व्यय को जोड़कर की जाती है और यह बताता है कि यदि सभी परिसंपत्तियां बेची गई और सभी ऋणों का भुगतान किया गया तो कंपनी के हितधारकों के लिए कितना बचेगा। एक सकारात्मक शेयरधारकों की निधि से पता चलता है कि कंपनी के पास अपनी देनदारियों को कवर करने के लिए पर्याप्त परिसंपत्तियां हैं जबकि नकारात्मक शेयरधारक इक्विटी का मतलब है कि देनदारियां परिसंपत्तियों से अधिक हैं।

इक्विटी पर आय की गणना 21 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में की गई है, जहां राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया था। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान 21 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित शेयरधारकों की निधि और इक्विटी पर आय का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है।

तालिका 4.14: सा.क्षे. के 21 उपक्रम जिनमें हरियाणा सरकार द्वारा निधियों का निवेश किया गया था, से संबंधित इक्विटी पर आय

वर्ष	लाभ उठाना/हानि उठाना	निवल आय (₹ करोड़ में)	शेयरधारकों की निधि (₹ करोड़ में)	इक्विटी पर आय (प्रतिशत में)
2014-15	लाभ उठाना	868.40	1,645.11	52.79
	हानि उठाना	-62.58	-294.32	-21.26
कुल		**805.82**	**1,350.79**	**59.66**
2015-16	लाभ उठाना	299.84	1,793.86	16.71
	हानि उठाना	-62.23	-296.18	-21.01
कुल		**237.61**	**1,497.68**	**15.87**
2016-17	लाभ उठाना	171.97	1,868.44	9.20
	हानि उठाना	-100.38	-435.74	-23.04
कुल		**71.59**	**1,432.70**	**5.00**
2017-18	लाभ उठाना	137.26	1,773.96	7.74
	हानि उठाना	-20.97	-169.11	-12.40
कुल		116.29	1604.85	7.25
2018-19	**लाभ उठाना**	**302.40**	**2,045.58**	**14.78**
	हानि उठाना	-29.94	-213.51	-14.02
	कुल	**272.46**	**1,832.07**	**14.87**

नियोजित पूँजी पर आय

4.21 नियोजित पूंजी पर आय एक अनुपात है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता और उस दक्षता को मापता है जिस दक्षता के साथ उसकी पूंजी नियोजित की गई है। नियोजित पूंजी पर आय की गणना ब्याज और करों से पहले कंपनी की कमाई (ई.बी.आई.टी.) को नियोजित पूँजी[22] द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान सकारात्मक नियोजित पूंजी वाले सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कुल नियोजित पूंजी पर

[22] नियोजित पूंजी = प्रदत्त शेयर पूंजी + मुक्त संचय एवं अधिशेष + दीर्घ अवधि ऋण - संचित हानि - स्थगित राजस्व व्यय। आंकड़े, नवीनतम वर्ष, जिनके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया है, के अनुसार हैं।

आय का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 4.15: नियोजित पूंजी पर आय

वर्ष	लाभ उठाना/ हानि उठाना	सा.क्षे.उ. की संख्या	ई.बी.आई.टी. (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी पर आय (प्रतिशत में)
2014-15	लाभ उठाना	14	1,657.92	3,847.02	43.10
	हानि उठाना	3	140.64	164.42	85.54
कुल		**17**	**1,798.56**	**4,011.44**	44.84
2015-16	लाभ उठाना	12	671.39	3,806.96	17.64
	हानि उठाना	5	-4.48	168.23	-2.66
कुल		**17**	**666.91**	**3,975.19**	16.78
2016-17	लाभ उठाना	11	563.43	4,356.18	12.93
	हानि उठाना	7	-4.06	108.07	-3.76
कुल		**18**	**559.37**	**4,464.25**	12.53
2017-18	लाभ उठाना	13	684.184	5,921.92	11.55
	हानि उठाना	7	-6,639	222.53	-2.98
कुल		**20**	**677.545**	**6,144.45**	**11.03**
2018-19	लाभ उठाना	16	1,146.00	8,196.93	13.98
	हानि उठाना	6	-20.10	178.27	-11.28
कुल		**22**	**1,125.90**	**8,375.20**	**13.44**

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण

4.22 सरकार, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा 2014-15 से 2018-19 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के दीर्घकालिक ऋणों का विश्लेषण उनके द्वारा भुगतान करने की क्षमता का आकलन करने के लिए किया गया था। इसका मूल्यांकन ब्याज भुगतान अनुपात और ऋण टर्नओवर अनुपात के माध्यम से किया जाता है।

ब्याज भुगतान अनुपात

4.23 ब्याज भुगतान अनुपात का उपयोग किसी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना ब्याज और करों से पहले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की कमाई (ई.बी.आई.टी.) को उसी अवधि के ब्याज खर्चों से विभाजित करके की जाती है। कम अनुपात, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता कम होती है। एक से नीचे का ब्याज भुगतान अनुपात इंगित करता है कि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान सकारात्मक और नकारात्मक ब्याज भुगतान अनुपात का विवरण नीचे तालिका में दिया

गया है:

तालिका 4.16: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित ब्याज भुगतान अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज और कर से पहले अर्जन (ई.बी.आई.टी.) (₹ करोड़ में)	सरकार तथा बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण की देयता वाले सा.क्षे.उ. की संख्या	एक से अधिक ब्याज भुगतान अनुपात वाले सा.क्षे.उ. की संख्या	एक से कम या एक के बराबर ब्याज के भुगतान अनुपात वाले सा.क्षे.उ. की संख्या
2014-15	543.21	1,682.35	8	4	4
2015-16	438.22	633.21	8	4	4
2016-17	395.77	443.62	6	4	2
2017-18	540.80	720.77	7	5	2
2018-19	788.42	1,162.04	7	4	3

ऋण टर्नओवर अनुपात

4.24 पिछले पांच वर्षों के दौरान, इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के टर्नओवर में (-) 12.59 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई जबकि ऋण की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि 21.68 प्रतिशत रही, जिसके कारण ऋण टर्नओवर का अनुपात 2014-15 में 0.25 से घटकर 2018-19 में 1.32 हो गया, जो नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 4.17: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित ऋण टर्नओवर अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सरकार और अन्य (बैंक और वित्तीय संस्थान) से ऋण	2,247.13	2,073.13	2,500.12	4,046.12	5,993.96
टर्नओवर	8,891.35	4,633.78	4,100.32	4,564.52	4,536.78
ऋण टर्नओवर अनुपात	0.25:1	0.45:1	0.61:1	0.87:1	1.32:1

स्रोत: संबंधित सा.क्षे.उ. के नवीनतम लेखा परीक्षित लेखाओं के आधार पर संकलित।

निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को बंद करना

4.25 31 मार्च 2019 तक 27 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से चार निष्क्रिय कंपनियां थी, जिनका कुल निवेश ₹ 21.67 करोड़ पूंजी (₹ 17.98 करोड़) और दीर्घकालिक ऋण (₹ 3.69 करोड़) था जैसाकि ***परिशिष्ट-5*** में दर्शाया गया है। 31 मार्च 2019 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के अंत में निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या नीचे दी गई है:

तालिका 4.18: निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
निष्क्रिय कंपनियों की संख्या	4	4	4	4	4

स्रोत: संबंधित वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा.क्षे.उ.), हरियाणा सरकार में शामिल जानकारी से संकलित।

दो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों[23] की परिसमापन प्रक्रिया 15 से 20 साल पहले शुरू हुई थी और पूरी नहीं हुई है। सरकार उनके बंद करने के संबंध में उचित प्रारंभिक निर्णय ले सकती है।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं पर टिप्पणियाँ

4.26 1 अक्तूबर 2018 से 30 सितंबर 2019 की अवधि के दौरान 17 कार्यरत कंपनियों ने प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा को 24 लेखापरीक्षित खाते अग्रेषित किए। इनमें से 16 लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा संचालित सांविधिक लेखापरीक्षकों और अनुपूरक लेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ने इंगित किया कि लेखाओं की गुणवत्ता में काफी सुधार किए जाने की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के कुल वित्तीय प्रभाव का विवरण इस प्रकार है:

तालिका 4.19: कार्यरत कंपनियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	8	14.66	6	39.15	-	-	5	25.56
2.	लाभ में वृद्धि	-	-			6	6.19	-	-
3.	घाटे में वृद्धि	6	40.16	3	4.48	4	8.56	2	1.56
4.	घाटे में कमी	-	-	-	-	-	-	2	0.07
5.	महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा न होना	6	1,426.81	2	111.17	3	19.44	5	56.62
6.	वर्गीकरण की त्रुटियां	8	188.85	4	49.74	1	10.66	4	71.23

स्रोत: सरकारी कंपनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों से संकलित।

अक्तूबर 2018 से सितंबर 2019 की अवधि के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 16 लेखाओं पर योग्य प्रमाण-पत्र जारी किए थे। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखा मानकों का अनुपालन ठीक नहीं था। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 13 लेखाओं में लेखा मानकों के अनुपालन न होने के 38 उदाहरण उद्धृत किए हैं।

4.27 राज्य में दो सांविधिक निगम हैं (i) हरियाणा वित्तीय निगम (एच.एफ.सी.) और (ii) हरियाणा राज्य भंडारण निगम (एच.एस.डब्ल्यू.सी.)। दोनों ने वर्ष 2017-18 के लिए अपने लेखाओं को अक्तूबर 2018 से सितंबर 2019 की अवधि के दौरान अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए अग्रेषित किया, जिसे अंतिम रूप दिया गया है।

[23] हरियाणा कॉनकास्ट लिमिटेड और हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड।

दोनों लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वर्ष 2017-18 के लिए एच.एस.डब्ल्यू.सी. के वार्षिक लेखाओं को योग्य प्रमाण-पत्र दिया था तथा एच.एफ.सी. के वार्षिक लेखाओं को अयोग्य प्रमाण-पत्र दिया था।

सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों और सांविधिक निगमों के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के कुल वित्तीय प्रभाव का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

तालिका 4.20: सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	3	7.49	3	10.71	-	-	1	1.16
2.	लाभ में वृद्धि	-	-	-	-	2	2.94	1	2.80
3.	घाटे में वृद्धि	-	-	-	-	-	-	1	0.11
4.	घाटे में कमी	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा न होना	2	7.07	2	1.23	-	-	2	6.81
6.	वर्गीकरण की त्रुटियां	2	28.82	2	19.99	-	-	1	2.16

स्रोत: सरकारी कंपनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/सी.ए.जी. की टिप्पणियों से संकलित।

अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद

4.28 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों) की प्रतिवेदन के लिए, संबंधित विभागों के अपर-मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों को उत्तर देने के अनुरोध के साथ सात अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद जारी किए गए थे। राज्य सरकार से पांच अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेदों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 70.12 करोड़ है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

बकाया उत्तर

4.29 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा संवीक्षा का उत्पाद है। अतः यह आवश्यक है कि वे कार्यपालिका से समुचित तथा सामयिक प्रतिक्रिया प्राप्त करें। वित्त विभाग, हरियाणा सरकार ने सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश जारी किए (जुलाई 2002) हैं कि वे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के विधानसभा में प्रस्तुति के तीन माह की अवधि के भीतर उसमें शामिल अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियां, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम समिति (कोपू) से

किसी भी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किए बिना, निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें।

तालिका 4.21: सा.क्षे.उ. से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति (30 अप्रैल 2020 को)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा.क्षे.उ.) का वर्ष	राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण की तारीख	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त से संबंधित कुल निष्पादन लेखापरीक्षा (पी.ए.) और अनुच्छेद		पी.ए./अनुच्छेदों की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थी	
		पी.ए.	अनुच्छेद	पी.ए.	अनुच्छेद
2014-15	14 मार्च 2016	1	7	-	-
2015-16	27 फरवरी 2017	-	5	-	-
2016-17	14 मार्च 2018	1	4	-	2
2017-18	26 नवंबर 2019	-	8	-	6

स्रोत: हरियाणा सरकार के संबंधित विभागों से प्राप्त व्याख्यात्मक नोटों के आधार पर संकलित।

30 अप्रैल 2020 तक आठ अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर व्याख्यात्मक नोट संबंधित चार विभागों के पास लंबित थे।

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की चर्चा

4.30 30 अप्रैल 2020 को कोपू की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा.क्षे.उ.) में प्रदर्शित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा और पैराग्राफों पर चर्चा की स्थिति निम्नानुसार थी:

तालिका 4.22: 30 अप्रैल 2020 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट की तुलना में चर्चा की गई निष्पादन लेखापरीक्षाएं/अनुच्छेद

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/अनुच्छेदों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट		चर्चा किए गए अनुच्छेद	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षा	अनुच्छेद
2014-15	1	7	1	7
2015-16	-	5	-	1
2016-17	1	4	-	-
2017-18	-	8	-	-

स्रोत: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर कोपू की चर्चा के आधार पर संकलित।

2014-15 तक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा.क्षे.उ.) पर चर्चा पूरी हो गई है।

कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन

4.31 मार्च 2011 और मार्च 2019 के मध्य राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित कोपू के छः प्रतिवेदनों पर एक्शन टेकन नोट्स (ए.टी.एन.) प्राप्त नहीं हुए थे (30 अप्रैल 2020), जैसा कि निम्न तालिका में इंगित किया

गया है:

तालिका 4.23: कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन

कोपू रिपोर्ट का वर्ष	कोपू के प्रतिवेदनों की कुल संख्या	कोपू के प्रतिवेदनों में सिफारिशों की कुल संख्या	सिफारिशों की संख्या जिनकी ए.टी.एन. प्राप्त नहीं हुई
2010-11	1	8	1 (पैरा संख्या 8)
2011-12	1	5	1 (पैरा संख्या 3)
2012-13	1	11	-
2013-14	1	7	2 (पैरा संख्या 5 एवं 6)
2014-15	1	8	1 (पैरा संख्या 5)
2015-16	1	12	-
2016-17	1	8	-
2017-18	1	15	7 (पैरा संख्या 15, 19 से 24)
2018-19	1	2	2 (पैरा संख्या 6, 7)
2019-20	1	5	5 (पैरा संख्या 1 से 4 एवं 9)
कुल	**10**	**81**	**19**

स्रोत: हरियाणा सरकार के संबंधित विभागों से कोपू की सिफारिशों पर प्राप्त ए.टी.एन. पर आधारित संकलन।

कोपू के उपर्युक्त प्रतिवेदनों में उन अनुच्छेदों के संबंध में सिफारिशें थीं, जो 2006-07 से 2015-16 की अवधि के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में प्रकट हुए थे।